(31)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 360/2024

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

करनैल सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बनाम् - वादी

1. भगवान सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुरजीत सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अमरजीत राय पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गुरनाम सिंह पुत्र श्री आशा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. राम सिंह पुत्र श्री आशा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. बिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांकः-26.7.2024

वादी करनैल सिंह ने प्रतिवादीगण भगवान सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का भाई, प्रतिवादी सं. 2 ता 7 वादी के भतीजे है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 स्वयं के नाम से, वादी के भाई एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 के स्व. पिता प्यारा सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 6.300 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) **वादी करनैल सिंह पुत्र श्री खजान सिंह** जाति [illegible] निवासी किकरवाली **तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा** [illegible] की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-[illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	6/0.253 है., 7/0.060 है.
140/192	24	2,9,10/0.253 है.प्र.
140/191	9	12/0.038 है., 18/0.190 है., 19/0.253 है.

कुल 1.553 है. कृषि भूमि

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

(38)

(ख) प्रतिवादी सं. 1 भगवान सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/191	10	23,24,25/0.253 है.प्र.
139/192	23	3,4,5/0.253 है.प्र., 7/0.060 है.
		कुल 1.578 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः सुरजीत सिंह व अमरजीत राय पुत्रगण श्री पूर्ण सिंह समस्त जाति रायसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	2,8,9,12,13/0.253 है.प्र., 7/0.133 है.
		14/0.145 है., 15/0.012 है.
		कुल 1.555 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः गुरनाम सिंह व राम सिंह पुत्रगण श्री आशा सिंह समस्त रायसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	14/0.108 है., 15/0.241 है.
140/192	24	1,11,12/0.253 है.प्र.
140/191	09	21,22/0.253 है.प्र.
		कुल 1.614 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 8 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त [illegible] है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वाद पत्र में घोषणा एवं [illegible] का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी [illegible] प्रति[illegible] सं. [illegible] ता 7 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र [illegible] किये जाने पर [illegible] वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का [illegible] किया। [illegible] प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 [illegible] स्वयं के नाम से, वादी के भाई एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 के स्व. पिता [illegible]रा सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 6.300 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं

लगातार --3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी करनैल सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	6/0.253 है., 7/0.060 है.
140/192	24	2,9,10/0.253 है.प्र.
140/191	9	12/0.038 है., 18/0.190 है., 19/0.253 है.
		कुल 1.553 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 भगवान सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/191	10	23,24,25/0.253 है.प्र.
139/192	23	3,4,5/0.253 है.प्र., 7/0.060 है.
		कुल 1.578 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः सुरजीत सिंह व अमरजीत राय पुत्रगण श्री पूर्ण सिंह समस्त जाति रायसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	2,8,9,12,13/0.253 है.प्र., 7/0.133 है.
		14/0.145 है., 15/0.012 है.
		कुल 1.555 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः गुरनाम सिंह व राम सिंह पुत्रगण श्री आशा सिंह समस्त रायसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
		14/0.108 है., 15/0.241 है.
139/192	23	1,11,12/0.253 है.प्र.
140/192	24	21,22/0.253 है.प्र.
140/191	09	कुल 1.614 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक प्यारा सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा अमर सिंह के स्थान पर अमरजीत राय अंकित किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रह[illegible] अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे। [illegible] पर्चा डि[illegible]री हो। खर्चा

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया [illegible] पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली [illegible] कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.7.[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 14:55:00 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 360/2024

करनैल सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

भगवान सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सुरजीत सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
अमरजीत राय पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरनाम सिंह पुत्र श्री आशा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
राम सिंह पुत्र श्री आशा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सिंह पुत्र स्व. श्री प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 26.7.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष बास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी करनैल सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	6/0.253 है., 7/0.060 है.
140/192	24	2,9,10/0.253 है.प्र.
140/191	9	12/0.038 है., 18/0.190 है., 19/0.253 है.
		कुल 1.553 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 भगवान सिंह पुत्र श्री खजान सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/191	10	23,24,25/0.253 है.प्र.
139/192	23	3,4,5/0.253 है.प्र., 7/0.060 है.
		कुल 1.578 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः सुरजीत सिंह व अमरजीत राय पुत्र श्री पूर्ण सिंह समस्त जाति रायसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	2,8,9,12,13/0.253 है.प्र., 7/0.133 है.
		14/0.145 है., 15/0.012 है.
		कुल 1.555 है. कृषि भूमि

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

(41)

प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः गुरनाम सिंह व राम सिंह पुत्रगण श्री आशा सिंह समस्त रायसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 98/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/192	23	14/0.108 है., 15/0.241 है.
140/192	24	1,11,12/0.253 है.प्र.
140/191	09	21,22/0.253 है.प्र.
		कुल 1.614 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक प्यारा सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा अमर सिंह के स्थान पर अमरजीत राय अंकित किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..X.. निल ..X.. मुब्लिक ..X..निल ..X.. बाबत् ..X..
निल..X.. खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X..को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 26.7.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested